

राजस्थान सरकार
निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएँ राज. जयपुर
क्रमांक :- ई-18/एम/एसीपी/जोन-अजमेर/एफ.19388/2024/361 दिनांक : 04-06-24

आदेश

वित्त विभाग के आदेश क्रमांक: एफ.15(1)/एफडी/रूल्स/2017 दि० 30.10.2017 एवं 9.12.2017 एवं एफ.15(88) एफडी/रूल्स/2017 दिनांक 27.02.22 एवं 15(1)एफडी/रूल्स/2017 दिनांक 06.10.2023 में उपलब्ध प्रावधानानुसार के अनुसार निम्नलिखित कार्मिकों को राज्य सेवा में 18 व 27 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण किये जाने पर उनके नामों के सम्मुख अंकितानुसार एम.ए.सी.पी स्वीकृत की जाती है :-

क. सं.	कर्मचारी का नाम व पद	पदस्थापन स्थान	प्रथम नियुक्ति तिथि	पूर्ण सेवावधि	एसीपी स्वीकृति तिथि	पे मेट्रिक्स लेवल
1.	श्री राजेन्द्र सिंह राजपूत, वरिष्ठ सहायक	जिला क्षय निवारण केन्द्र, भीलवाड़ा।	30.07.1996	27 वर्ष	30.07.2023	एल-11
2.	श्री जोर्डन रॉबिन, वरिष्ठ सहायक	जवाहर लाल नेहरू चिकित्सालय, अजमेर।	06.05.2005	18 वर्ष	06.05.2023	एल-10

उपरोक्त कार्मिकों का वेतन निर्धारण एसीपी स्वीकृति के फलस्वरूप संबंधित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा नियमानुसार किया जावेगा।

(राकेश कुमार शर्मा)
निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक :- ई-18/एम/एसीपी/जोन-अजमेर/एफ.19388/2024/369 दिनांक : 04-06-24
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भीलवाड़ा।
- अधीक्षक, सामुहिक चिकित्सालय संघ अजमेर।
- जिला क्षय निवारण केन्द्र, भीलवाड़ा।
- प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करावें।
- संबंधित कार्मिकों को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
- आदेश/रक्षित पत्रावली।

निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान, जयपुर

RajKaj Ref
7269300

Document certified by RAKESH KUMAR
SHARMA <rasrakeshsharma@gmail.com>

Digitally Signed by Rakesh
Kumar Sharma
Designation: Director
Date :31-05-2024 05:30:34